पंकज गुप्ता और अन्य

बनाम

जम्मू कश्मीर राज्य और अन्य

16 सितंबर 2004

[के.जी. बालाकृष्णन और डॉक्टर ए.आर. लक्ष्मणन, जे.जे.]

सेवा कानून: नियुक्ति– सरकारी नौकरियां– ग्रामीण जनता– अपर्याप्त प्रतिनिधित्व– विधानसभा में चर्चा– राज्य सरकार द्वारा निर्णय—विधानसभा/परिषद की अनुशंसा पर विभागों के प्रमुख द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए नियुक्तियां उन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन/अधिसूचना जारी नहीं की गई—इसका असर—अभिनिर्धारित: नियुक्तियां अवैध थी– ना तो सरकार द्वारा अनुमोदित कोई मापदंड और ना ही नियुक्तियां करने में भर्ती के किसी भी नियम का पालन किया गया– नियुक्तों को सेवा में नियमित होने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया गलत थी– नियमित प्रक्रिया द्वारा पदों को भरने के लिए निर्देश जारी किए गए —नियुक्तों को उम्र की ऊपरी सीमा में छूट के साथ आवेदन जमा करवाने की अनुमति दी गई।

अपीलार्थियों को प्रत्यार्थी राज्य के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई की रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदनों के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अभी निर्धारित किया गया की नियुक्तियां अवैध थी। अपील करने पर खंडपीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिया गया की विधानसभा में इस विषय पर चर्चा के पश्चात की सरकारी नौकरियों में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व शहरी जनता की तुलना में कम है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तथा विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों द्वारा उनके नामों की अनुशंसा विभिन्न विभागों के प्रमुखों से की गई जो उन्हें नियुक्त करने हेतु सक्षम थे। अतः उनकी नियुक्तियां वैध थी। उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया की चूंकि वे पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं राजकीय सेवा हेतु निर्धारित अधिकतम आयु को पार कर चुके हैं उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिये।

अपीलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित:

1. कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति अवैध रूप से हुई हो अथवा अन्य निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया हो वह

सेवा में बने रहने हेतु दावा नहीं कर सकता। इस स्तिथि में, उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

1.2 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी। उन पदों को भरने के लिए अपीलार्थियों के नामों की अनुशंसा विधान परिषद व विधानसभा के सदस्यों द्वारा की गई थी। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि नियुक्तियां देने के समय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई मानदंड अथवा भरती के किसी नियम का पालन किया गया हो। यह सत्य हो सकता है कि अपीलार्थी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों और सरकारी नौकरियों में इस आबादी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन सरकार अथवा विभिन्न विभागों के प्रमुख भर्ती के नियमों के तहत अनुमोदित कुछ तर्कसंगत तौर तरीके तैयार कर सकते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण आबादी को भी सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। परंतु इसे संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही किया जा सकता है। **[462-D, E, F]**

2. नियुक्त व्यक्तियों को सेवा में नियमित होने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नियुक्ति की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। **[463–A]**

3. यह निर्देश दिया जाता है कि-

(i) सभी रिक्त पदों को नियुक्ति के लिए अधिसूचित किया जाएगा तथा नियमों के अनुसार **6** माह की अवधि में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(ii) सभी अपीलार्थी जो यहां है उन्हें ऐसी अधिसूचना के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(iii) ऊपरी आयु सीमा के संदर्भ में अपीलार्थियों को छूट दी जाएगी परंतु चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए बुनियादी योग्यताओं के मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(iv) अपीलार्थियों को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक नियमित भर्तियां की जाती है और इन पदों को नियुक्ति की नियमित प्रक्रिया द्वारा भरा जाता है। **[463–D, E, F]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4927— 4929 वर्ष 2002

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का एल.पी.ए. (एस.डब्लू.) क्रमांक 283, 377 और PERLP क्रमांक 589 वर्ष 2000 में निर्णय व आदेश दिनांक 8.11.2000 से।

के साथ

सी.ए. संख्या 4930— 32, 4941, 4933-40, 4944, 4943, 4942/2002 और सी.ए. संख्या 6079, 6070-6078, 6068, 6069 और 6059— 6067 वर्ष 2004।

राजू रामचंद्रन और डी.सी. रैना, जी.एम. कावुसा, एस.एस. जमवाल, एन. गनपथी, ए.के. रैना अनिल कुमार झा की ओर से।

भीम सिंह, बी.एस. बिलोरिया, एस.विग, श्रीमती पूर्णिमा भट, गुडविल एंडेवर, अशोक माथुर, सी.के. ससी, पी.डी. शर्मा, वी. एन. रघुपति, सी.एल. रैना, जी.जी. उपाध्याय और आर.डी. उपाध्याय, अपीलार्थियों की ओर से।

जे.एस. खत्री, अनीश सोहरावड़ी, सी.पी. पांडे और प्रकाश पांडे, प्रत्यार्थी की ओर से।

न्यायाधीश जिनके द्वारा निर्णय दिया गया

के.जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश:

अनुमति दी गई।

इन दीवानी अपीलों में अपीलार्थी सभी जम्मू कश्मीर राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। वे सभी 1997 में नियुक्त किए गए थे और उनकी नियुक्ति के बाद से ही वे अर्दली तामील कुनिंदा चौकीदार आदि के रूप में काम कर रहे है। इन अपीलार्थियों की नियुक्तियों को उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। प्रत्यार्थियों द्वारा आरोप लगाया गया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन

आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और इन अपीलार्थियों के नाम विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा सुझाए गए थे और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने इन सिफारिश के आधार पर इन अपीलार्थियों को नियुक्त किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश जिनके समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं विचारण के लिए आई थी ने अभिनिर्धारित किया कि इन अपीलार्थियों की नियुक्तियां अवैध थी और विधि अनुसार नहीं की गई थी। अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया की दिनांक 11.11.1997 को जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा विधानसभा में विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जिसमें राजकीय सेवा में शहरी उम्मीदवारों की तुलना में ग्रामीण जनता को उचित प्रतिनिधित्व की कमी के बारे में विस्तृत चर्चा के पश्चात सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। संभवत: यह महसूस किया गया कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अकेले ही पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह सरकारी नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। इन परिस्थितियों में ही विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों ने अपीलार्थियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के पश्चात अभी निर्धारित किया गया की इन अपीलार्थियों की नियुक्ति अवैध थी और वे सेवा मुक्त किए जाने के अधिकारी थे। इन अपीलार्थियों द्वारा निर्णय की

अपील प्रस्तुत की गई। खंडपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की गई।

हमने अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं तथा प्रत्यार्थियों के अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है की न्युक्तियां सरकारी निर्णय के बाद की गई थी और इन अपीलार्थियों के नाम की सिफारिश विधानसभा और विधान परिषद के विभिन्न सदस्यों द्वारा की गई थी। यह तर्क दिया कि विभिन्न विभागों के प्रमुख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां करने के लिए सक्षम थे इसलिए अपीलार्थियों की नियुक्तियां विधि सम्मत है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। स्वीकारोक्ति है कि इन पदों को सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी। इन अपीलार्थीयों के नाम की सिफारिश विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्ति के लिए की गई थी। यह दर्शाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है की नियुक्तियों को करते समय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मानदंड या भर्ती के लिए किसी भी नियम का पालन किया गया था। यह सच हो सकता है की अपीलार्थी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और सरकारी नौकरियों में इस ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन सरकार अथवा विभिन्न विभागों के प्रमुख भर्ती के नियमों के तहत अनुमोदित कुछ तर्कसंगत तौर तरीके तैयार कर सकते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण आबादी को भी सार्वजनिक रोजगार में

पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। परंतु इसे संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही किया जा सकता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अंत में बताया की यह सभी अपीलार्थी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे है तथा उनमें से कई पहले ही सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके है इसलिए उनका नियमन किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जिसके नियुक्ति अवैध रूप से हुई हो अथवा अन्य निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया हो वह सेवा में बने रहने हेतु दावा नहीं कर सकता वह सेवा में बने रहने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्तिथि में, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं समझते है। न्युक्तों को सेवा में नियमित होने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई न्युक्ति की प्रक्रिया त्रुटि पूर्ण थी। इसलिए, चाहे गए अनुतोष को एक मोड देना उचित होगा। विशेषतः तब जबकि अपीलार्थियों की न्युक्ति काफी अरसा पूर्व सन् 1997 में हुई थी और तबसे वह अरदली तामील कुनिंदा व चौकीदार के पद पर काम कर रहे है। हालांकि अपीलार्थियों की न्युक्ति विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों की सिफारिश पर हुई थी और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हुई थी जो की विधान सभा में ग्रामीण आबादी का शहरी

आबादी की तुलना में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम होने के कारण लिया गया था। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि:—

1. सभी रिक्त पदों को नियुक्ति के लिए अधिसूचित किया जाएगा तथा नियमों के अनुसार 6 माह की अवधि में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

2. सभी अपीलार्थी जो यहां है उन्हें ऐसी अधिसूचना के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

3. ऊपरी आयु सीमा के संदर्भ में अपीलार्थियों को छूट दी जाएगी परंतु चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए बुनियादी योग्यताओं के मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

4. अपीलार्थियों को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक नियमित भर्तियां की जाती है और इन पदों को नियुक्ति की नियमित प्रक्रिया द्वारा भरा जाता है।

सभी अपीलों का निस्तारण उपरोक्त टिप्पणी के साथ किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस.

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह जोधा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।